सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
चैत्र 08, मंगलवार, शाके 1943-मार्च 29, 2022 *Chaitra 08, Tuesday , Saka 1943- March 29, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, फरवरी 28, 2022

संख्या 2 (2) वन/2022 :-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज उसके किसी अंश की स्वत्तधारी (Entitled) है ।

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 की धारा 29 उपधारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है ।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना तथा उन्हे लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है । परन्तु चूंकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा। इस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचाने की आशंका है ।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 3) की धारा 29 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर/ असिस्टेंट फोरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर की पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेख तथा साक्ष्य उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11(1), 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेख सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है, परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त रक्षित वन को वे वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है,

राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा मकान निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खण्डित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती हैं ।

प्रथम अनुसूची (वनभूमि और बंजर भूमि) द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बी प्रवीण,
शासन सचिव,
वन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

प्रथम अनुसूची

संख्या	नाम वनखण्ड/ चक	नाम तहसील	नाम जिला	वनखण्ड के क्षेत्रफल का विवरण				रकबा बीघों में	सीमा	वि वि
				वनखण्ड का क्षेत्रफल	नाम ग्राम /चक	खसरा/मु. नम्बर	किला नं			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	चक 7-10 एम.जी.डी.	राजस्व तहसील लूनकरनसर	बीकानेर	8.296 हैक्टर (32.16 बीघा)	चक 7-10 एम.जी.डी.	42/54 42/47 42/55 42/63	15 ता 17 22 ता 25 5 1 2 ता 9 10 13 ता 15 1, 2 6 ता 15	3.00 4.00 1.00 0.18 8.00 0.18 3.00 2.00 10.00	पूर्व:- वन विभाग काश्तकार पश्चिम:- काश्तकार उत्तर:- काश्तकार दक्षिण:- वन विभाग	
							योग-	32.16 बीघा (8.296 हैक्टर)		

हस्ताक्षर
नरेन्द्र कुमार चौधरी
क्षेत्रीय वन अधिकारी
लूनकरणसर

हस्ताक्षर
रंगास्वामी ई
उप वन संरक्षक
बीकानेर

द्वितीय अनुसूची

आरक्षित वृक्ष

S.N0	Botanical Name	Hindi Name
1	Azadirachta indica, A.Juss	नीम
2	Acacia arbica willd	बबूल
3	Acacia jaquemontil	बोली
4	Acacia Senegal	कुमठा
5	Aerua tometosa	बुई
6	Albizzia lebbk. Bentb	काला सिंरस
7	Albizziaprocora, bentb	सफेद सिंरस
8	Baubinia porpurea, Linn	कचनार
9	Baubinia vaiegata, Linn	कचनार
10	Bombax ceiba(roxb) Malabar Cum, P.c	समेल(सालमानिया श्रेटिका)
11	Cordiamyxa , linn	लसौडा
12	Cordia rothi	गूंदी
13	Calligonum polygonouides	फोग
14	Calotropis procera R.Sr.	आक
15	Cassia auriculata	आवंला
16	Cassia fistula, Linn	अमलतास
17	Capparis decidna	केर
18	Cenchrus cilliafris	धामण धास
19	Dalbergis sissoo, Roxb	शीशम
20	Dendrocalamos strictus, Ness	पतला बॉस
21	Encalyptis spp	सफेदा
22	Eugenia jambolane, Lan	जामुन
23	Ficus religiosa, Linn	पीपल

24	Ficus bengalensis Linn	बड
25	Holopilia intgrifoia planch	बुरेल,कंजु,काज
26	Lasiuress sindieus	सेवन धास
27	Leptadeniam Reticulatam Wight & AR	खीप
28	Malia azedarach, Linn	बकायन
29	Morus alba, linn	शहतूत
30	Matifera indica, Linn	आम
31	Parkinsonia aculata	पार्किंग सोनिया
32	Ricinus communis	अरण्ड
33	Prosopis spiicigera	खेजडा
34	Prosopis juliflora	विलायती खेजडा
35	Phoeniz sylvertis, Trip	खजूर
36	Phyllanthus emblica, Linn	आवंला
37	Salvadora oligoides	पीलू
38	Salvadora oligoides	जाल
39	Saccharum munja	मूजा धास
40	Acacia tortalis	इजराईल बबूल
41	Tecomella undulata	रोहेडा
42	Tamariz doica poxb	फरास
43	Zizyphus jujuba Lam	बर
44	Zizyphus xylopyra willd	धोंट
45	Zizyphus nummularia	भड़ शेर
46	Haloxylen salvecornicum	लाणा

हस्ताक्षर
नरेन्द्र कुमार चौधरी
क्षेत्रीय वन अधिकारी
लूनकरणसर

हस्ताक्षर
रंगास्वामी ई
उप वन संरक्षक
बीकानेर

(परिशिष्ट-क)

कार्यालय उप वन संरक्षक, बीकानेर

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र
(जो लागू नहीं होता है उसे काट दे)

वनखण्ड - चक 7-10 एम.जी.डी.

रेंज - लूनकरनसर

वन मण्डल- कार्यालय उप वन संरक्षक, बीकानेर ।

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण गैर कृषि पायती है । जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 7 में विस्तृत रूप से मुरब्बा नंम्बरों का विवरण दर्शाया गया है ।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा विकास कार्य कराया गया है, इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है ।
3. वर्तमान में क्षेत्र में कैम्पा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में वृक्षारोपण का कार्य करवाया गया है। इनमें कोई खनन कार्य नहीं हुए है।
4. भूमि पर वृक्षों का घनत्व लगभग 85 प्रतिशत है। इस वन खण्ड में प्रमुख प्रजातियां बेर, कुमटा, खेजडी, व टोर्टलिस का लगभग प्रतिशत 85 है ।
5. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र वन विभाग एवं काश्तकार भूमि है तथा चारों और की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति कॉलम सं. 10 में कर दिया गया है।
6. वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शा) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओ, सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है प्रस्तावित वन क्षेत्रों की सीमा को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है।
7. प्रस्तावित क्षेत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधी पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे है किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है जिससे की इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सकें।
8. उक्त भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है ।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नरेन्द्र कुमार चौधरी	रंगास्वामी ई
क्षेत्रीय वन अधिकारी	उप वन संरक्षक
लूनकरणसर	बीकानेर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।